



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

महत्त्वपूर्ण/समयवश



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-[cepwdua@gmail.com](mailto:cepwdua@gmail.com)

पत्रांक: 1569 / 82व्यक-सा0/20  
सेवा में

दिनांक 27 / 07 / 2020

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 /  
पी0एम0जी0एस0वाई0 / विश्व बैंक,  
लोक निर्माण विभाग,  
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / देहरादून / पौड़ी।

विषय :- राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का ज्ञाप संख्या-1326/82व्यक-सामान्य/2020 दिनांक 02.07.2020 एवं ज्ञाप संख्या-1328/82व्यक-सा0/2020 दिनांक 02.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तथा जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न अर्थात् प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष हैं, के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में स्कीनिंग/समीक्षा कमेटी का गठन करते हुये ऐसे कार्मिक जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप अपनी सुविचारित आख्या स्पष्ट मन्तव्य सहित शासकीय पत्र संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक 22.06.2020 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 के अनुसार सूचना निर्धारित प्रारूपों में अंकित करते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के कम में लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता, एवं उससे उच्चतर पदों पर तैनात अभियन्तागण, वैयक्तिक सहायक संवर्ग तथा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता संवर्ग (मैनिस्ट्रीयल) के पदों पर कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्होंने 01 अप्रैल, 2020 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण की जा चुकी है, के सम्बन्ध में इनकी आयु 01.04.2020 को 50 वर्ष पूर्ण हो जाने की पुष्टि सेवा अभिलेखों से करते हुए निर्धारित प्रारूपों (प्रारूप-1 से 4 तक) जो इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.07.2020 के साथ पूर्व में ही संलग्न कर प्रेषित है तथा विभागीय वेबसाइट में भी अपलोड किये गये हैं, के अनुसार वांछित सूचना निम्न बिन्दुओं के अनुरूप अपनी सुविचारित आख्या एवं सुस्पष्ट मन्तव्य सहित सूचना संकलित करते हुये उपलब्ध करायी जाये।

बिन्दु 01:-

आपके कार्यालय तथा अधीनस्थ वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों से सम्बन्धित कार्मिकों की पूर्ण संकलित सूचना निर्धारित प्रारूपों पर आपके स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी, किसी भी दशा में अपूर्ण सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी।

बिन्दु 02:-

प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में प्रारूप-1 से 4 तक की सूचना पृथक-पृथक उपलब्ध करायी जाय जिसमें इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रेषित प्रारूपों के अनुसार प्रमाण पत्र भी अंकित हो तथा सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष तथा आपके हस्ताक्षर हों।

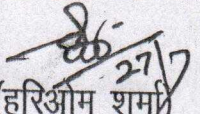
Amo

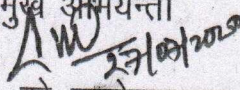
बिन्दु 03:- निर्धारित प्रारूपों (प्रारूप-1 से 4 तक) पर अंकित की गयी सूचना को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका/अभिलेखों से मिलान करने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

बिन्दु 04:- आपके स्तर से उपलब्ध करायी गयी सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

बिन्दु 05:- किसी भी दशा में वृत्तीय/खण्डीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी।

अतः प्रकरण की महत्ता/समयबद्धता के दृष्टिगत निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वॉछित सूचना निर्धारित प्रारूपों पर एक सप्ताह के भीतर किसी भिन्न जानकारी अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से इस कार्यालय में संकलित कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध है। अतः इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अनिवार्य है। सूचनार्ये प्रारूप-01 से 04 तक सभी प्रारूपों पर उपलब्ध कराई जानी हैं।

  
(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  


ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, को उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को कार्मिकों की सूची सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित इस पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परिवाद), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को व्यवस्थापन-क वर्ग के पत्रसंख्या-1462/82व्यक-सा0/20 दिनांक-15.07.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों के सम्बन्ध में सी0सी0ए0 रूल्स के अन्तर्गत जाँच सम्बन्धी संकलित सूचना एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थापन-क वर्ग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को व्यवस्थापन-क वर्ग के पत्रसंख्या-1462/82व्यक-सा0/20 दिनांक-15.07.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय आख्याओं का सार एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थापन-क वर्ग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन 'ख' व 'ग' वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(हरिओम शर्मा)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता